All Dir's
All AC's
All DC's

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक :- 31 JAN 2020

3/2/20

आदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा जारी रूपान्तरण आदेश/पट्टा अभिलेख, जारी होने के पश्चात ऐसी भूमियां प्राधिकरण/न्यास के नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित हो जाने पर रूपान्तरित भूमि पर निर्मित भवन के संबंध में निर्माण स्वीकृति/भवन मानचित्र संशोधन इत्यादि में आ रही परेशानी तथा जिला कलक्टर द्वारा जारी रूपान्तरण आदेश में एकल पट्टा प्रकरणों में भी 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित किये जाने की शर्त से प्राधिकरण/न्यास स्तर पर प्रकरणों को निस्तारण में उत्पन्न विसंगति के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है :-

1. यदि जिला कलक्टर द्वारा पूर्व में रूपान्तरित भूमि पर आवेदक द्वारा प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप/वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/जिला नगर नियोजक द्वारा प्रेषित तकनीकी राय के आधार पर निर्माण कार्य किया गया है तथा वर्तमान में नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने के कारण आवेदक द्वारा यदि भवन मानचित्र अनुमोदन/संशोधन/पूर्णता प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा जारी समपरिवर्तन/रूपान्तरण आदेश की शर्तों के अनुरूप किये गये निर्माण को अनाधिकृत अथवा बिना स्वीकृति निर्माण की श्रेणी में नही माना जावें तथा ऐसे आवेदन पर वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क व अन्य देय शुल्क लिये जाकर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावें।
2. जिला कलक्टर द्वारा एकल पट्टा प्रकरणों में जारी रूपान्तरण आदेशों में कुल भूमि की 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित कराये जाने की शर्त राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों के प्रावधानों के विपरीत हैं। जिससे वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित होने पर नगरीय निकायों में भवन मानचित्र अनुमोदन/पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिवास प्रमाण-पत्र/संशोधित मानचित्र/उप -विभाजन /पुर्नगठन/भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर रूपान्तरण आदेश में अंकित शर्त से विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः ऐसे एकल पट्टा प्रकरणों में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप ही सुविधा क्षेत्र हेतु आवश्यक भूमि छुडवायी जाकर/समतुल्य राशि जमा करायी जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें।

See UDH-234
3-2-2020

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, सगस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम